



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 499/2025

सीताराम रवि पिता जीतन रवि, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी- ग्राम अधौरा, थाना बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक कुमार स्वर्णकार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, उप-महाधिवक्ता

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा

माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु

बोर्ड पर निर्णय

मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा,

07.08.2025

1. यह दाण्डिक अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 89/2019 में दिनांक 27.11.2024 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के अधीन दोषसिद्ध किया है एवं उसे 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 500/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन उसे आजीवन सश्रम कारावास और 1000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में उसे तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया है।

2. अभियोजन की कहानी संक्षिप्त में यह है कि श्रीमती सविता (अ.सा.-3) द्वारा पुलिस चौकी मणिपुर, थाना अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी पुत्री सुनीता का विवाह वर्ष 2007 में सीताराम से हुआ था। विवाह के समय से ही सीताराम अपनी पत्नी सुनीता से यह कहते हुए कि उसने दहेज में कुछ



नहीं दिया झगड़ा और मारपीट करता था। दिनांक 02.05.2019 को, उसका दामाद सीताराम गाँव जाबर में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद घर लौटा और दहेज के मुद्दे पर अपनी पत्नी सुनीता की पिटाई की और उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जान से मारने की नीयत से आग लगा दी। जब सुनीता किसी तरह आग बुझाने के लिए घर से बाहर भागी, तो उसके बड़े देवर कृष्णा रवि और उसकी पत्नी शांति, जो पड़ोस में रहते हैं, ने शोर सुना और उसे उपचार हेतु बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ सुनीता की हालत में सुधार नहीं होने पर उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया।

3. मणिपुर पुलिस चौकी की श्रीमती सविता (अ.सा.-3) की रिपोर्ट पर, अंबिकापुर थाना के प्रधान आरक्षक अनिल सिंह (अ.सा.-7) ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क और 307 के अंतर्गत अपराध शून्य पर पंजीबद्ध किया, शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.प्र.-34 है। जब बिना नंबर वाली अपराध डायरी बलरामपुर थाना में अपराध दर्ज करने के लिए लाई गई, तो बलरामपुर थाना के उप-निरीक्षक संपत पोटाई (अ.सा.-21) ने अपराध क्रमांक 112/2019 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क और 307 के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.प्र.-37) पंजीबद्ध किया।

4. निरीक्षक उमेश बघेल (अ.सा.-14) ने घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी.-26) तैयार किया और घटनास्थल का पटवारी नक्शा तैयार करने के संबंध में तहसीलदार बलरामपुर को लिखित शिकायत (प्र.पी.-18) दी। सहायक उपनिरीक्षक निर्मला कश्यप (अ.सा.-17) ने सुनीता रवि का मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर को लिखित शिकायत (प्र.पी.-33) भेजी। नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20) ने सुनीता का मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.-36) दर्ज किया। डॉ. वी.सी. पैकरा (अ.सा.-16) ने सुनीता को जलने के कारण बर्न वार्ड में भर्ती करने की सलाह दी, ओपीडी पर्ची प्रदर्श पी-32 है।

5. अंबिकापुर में सुनीता का उपचार चलने के पश्चात, उसे दिनांक 28/05/2019 को छुट्टी दे दी गई और उसका उपचार घर पर ही जारी रहा और दिनांक 10/07/2019 को उसकी मृत्यु हो गई। सुनीता की मृत्यु की सूचना मिलने पर, चलगली थाना में एक बिना नंबर वाली प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-29) दर्ज की गई। उप-निरीक्षक शांतिलाल कुजूर (अ.सा.-13) को चलगली थाना से प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 08/19 प्राप्त होने पर, उन्होंने बलरामपुर थाना में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 34/2019 दर्ज की, जो कि प्र.पी.-15 है।

6. निरीक्षक प्रद्युम्न तिवारी (अ.सा.-15) द्वारा लिखित शिकायत (प्र.पी.-30) कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शव पंचनामा की कार्यवाही के लिए दिए जाने के उपरांत, तहसीलदार शाबाद खान (अ.सा.-19) ने



साक्षियों को नक्शा पंचायतनामा के लिए सूचना (प्र.पी.-4) जारी किया और मृतका का नक्शा पंचायतनामा (प्र.पी.-7) साक्षियों के सामने तैयार किया गया।

7. शव के शवपरीक्षण के उपरांत, प्र.पी.-31 के रूप में एक आवेदन दिया गया। मृतका का प्रारंभिक उपचार प्र.पी.-14 के अनुसार डॉ. अरुण कुमार (अ.सा.-12) द्वारा किया गया और शव का परीक्षण डॉ. भैयालाल राजवाड़े द्वारा किया गया। मृतका का शवपरीक्षण करने के बाद, परीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी.-35) तैयार की गई और शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बाद में, शव को प्र.पी.-8 के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए मृतका के भाई जगदीश को सौंप दिया गया। निरीक्षक उमेश बघेल (अ.सा.-14) ने सुनीता रवि का बेड हेड टिकट प्राप्त करने के लिए चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर को लिखित शिकायत (प्र.पी.-27) दी और सुनीता रवि का बेड हेड टिकट प्राप्त करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबिकापुर को लिखित शिकायत (प्र.पी.-28) दी।

8. विवेचना के दौरान, अभियुक्त सीताराम रवि का प्रकटीकरण कथन प्र.पी-1 के रूप में दर्ज किया गया और जब्ती प्र.पी-3 के अनुसार, आधा लीटर तेल से भरा एक प्लास्टिक का 5 लीटर का तेल का डिब्बा जब्त किया गया और जब्त डिब्बे (प्र.पी-02) का पंचनामा तैयार किया गया।

9. अभियुक्त सीताराम के विरुद्ध अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर, उसे गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी-16 के अनुसार गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त कृष्णा रवि, श्रवण रवि, जीतन रवि, श्रीमती भगमनिया रवि, श्रीमती दसैया रवि और प्रभा रवि को गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी-19, 20, 21, 22, 23 व 24 के अनुसार गिरफ्तार किया गया और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी सूचना प्र.पी-17 और प्र.पी-25 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। विवेचना के उपरांत, अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क और 302 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामानुजगंज, श्रृंखला न्यायालय बलरामपुर की न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। जहाँ दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 288/2019, (शासन विरुद्ध सीताराम रवि व अन्य) पंजीबद्ध किया गया और दिनांक 04.09.2019 के आत्मसमर्पण आदेश द्वारा आत्मसमर्पण किया गया।

10. अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498-क, 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तों ने अपने विरुद्ध विरचित आरोपों से इनकार किया एवं विचारण चाहा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351) के अंतर्गत अपने विचारण में, अभियुक्तों ने अपने बचाव में कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया और स्वयं को निर्दोष बताया और झूठे फंसाए जाने का दावा किया।



11. अपराध को साबित करने हेतु, अभियोजन ने 10 साक्षियों का परीक्षण कराया और 18 दस्तावेज़ (पी-पी-1 से पी-18) प्रस्तुत किए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपराध से इनकार किया। यद्यपि, उसने अपने बचाव में किसी का भी परीक्षण नहीं कराया।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारित करते हुए कि प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्त कृष्णा रवि, श्रवण रवि, जीतन रवि, श्रीमती दशैया रवि, श्रीमती भगमनिया रवि और श्रीमती प्रभा रवि उर्फ गुड़िया ने मृतका सुनीता को दहेज की मांग के लिए पीटा, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और मृतका सुनीता रवि पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगाकर उसकी हत्या की। परिणामस्वरूप, अभियुक्त कृष्णा रवि, श्रवण रवि, जीतन रवि, श्रीमती दशैया रवि, श्रीमती भगमनिया रवि और श्रीमती प्रभा रवि उर्फ गुड़िया को संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क और 302 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

13. तत्पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने और मृतका के पिता मोहन (अ.सा.-1), शिवदयाल सिन्हा (अ.सा.-2) और मृतका की बहन राजेश्वरी (अ.सा.-3) के साक्ष्यों का अवलंब लेते हुए, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क और 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लिखित अनुसार दण्डित किया।

14. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार स्वर्णकार ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि अभियोजन अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उन्होंने आगे तर्क किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलेख में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो उसे प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ता हो। अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी के पास से कोई अभियोगात्मक जब्ती नहीं हुई है और इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपराध होते देखा था उसने अभियोजन की पूरी कहानी का समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन का प्रकरण पूर्णतया (अ.सा.-3) श्रीमती सविता रवि (मृतका की माँ), (अ.सा.-1) सुखसाई कोडाकू, अ.सा.-2 राजमनिया सिंह, अ.सा.-4 जगदीश रवि, अ.सा.-20 किशोर कुमार वर्मा, अ.सा.-7 अमीर चंद और अ.सा.-12 डॉ. अरुण, (अ.सा.-16) डॉ. वी.सी. पैकरा, के परिसाक्ष्य पर आधारित है। किंतु कुछ साक्षियों ने अपनी कहानी के साथ-साथ अभियोजन की पूरी कहानी का खंडन किया और अ.सा.-8 नेहा रवि (मृतका की पुत्री), अ.सा.-9 अनिकेत रवि



(मृतका का पुत्र), अ.सा.-6 रवि तिर्की, अ.सा.-10 शांति देवी ने अलग-अलग कहानी बताई, इसलिए अभियोजन की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है और उसने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की उचित विवेचना नहीं की है और अ.सा.-3 श्रीमती सविता रवि (मृतका की माँ), अ.सा.-1 सिखसाई कोडाकू, अ.सा.-2 राजमनिया सिंह, अ.सा.-4 जगदू रवि, अ.सा.-20 किशोर कुमार वर्मा, अ.सा.-7 अनिल सिंह, अ.सा.-12 डॉ. अरुण वी.सी. पैकरा के साक्ष्यों को त्रुटिपूर्ण पठन किया है। किंतु कुछ साक्षियों ने अपनी कहानी के साथ-साथ अभियोजन की पूरी कहानी का खंडन किया और अ.सा.-8 नेहा रवि (मृतका की पुत्री), अ.सा.-9 अनिकेत रवि (मृतका का पुत्र), अ.सा.-6 रवि तिर्की, अ.सा.-10 शांति देवी ने अलग कहानी बताई, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने इसे अनदेखा कर दिया और अपने मन में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस पर विचार किया और इस तरह साक्षियों के कथन के संबंध में एक त्रुटिपूर्ण और घोर विकृत निष्कर्ष पर पहुँचा। इसके अतिरिक्त, साक्षियों की परिसाक्ष्य में स्थान और समय के संबंध में विसंगतियाँ अत्यधिक संदिग्ध हो जाती हैं, परिस्थितियों और साक्ष्यों की समग्रता अभिलेख पर अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता के बारे में संदेह उत्पन्न करती है और संदेह का लाभ पाने की हकदार है। साथ ही, साक्षियों के साक्ष्य को विचारण न्यायालय ने पूर्णतया त्रुटिपूर्ण पठन किया है और अपीलार्थी के पक्ष पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया और विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों की उचित विवेचना नहीं की थी। यह प्रकरण इस आधार पर आधारित है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तात्त्विक साक्ष्यों की अनदेखी की है और अपीलार्थी को बिना किसी विधिक साक्ष्य के भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क और 302 के अधीन दोषसिद्ध किया है। अतः यह तर्क किया गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो अ.सा.-1, अ.सा.-2, अ.सा.-3, अ.सा.-4, अ.सा.-20 के कथनों की संपुष्टि कर सके, और परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं हुई है। अतः, आक्षेपित निर्णय अभिखण्डित व अपास्त किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त, मुख्य साक्षी डॉ. अजीत लकड़ा, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था, का भी विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया है और नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20), जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था, ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कथन प्रारंभ करने का समय शाम 7.35 बजे था, किंतु अंतिम पृष्ठ पर शाम 7.20 बजे लिखा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कथन दर्ज करने की तारीख 21.05.2019 लिखी है, यद्यपि उनके हस्ताक्षर के नीचे 22.05.2019 की तारीख लिखी है। इस प्रकार, इस साक्षी, अर्थात् अ.सा.-20 साथ ही मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.-36) विश्वास प्रेरित नहीं करता और अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए इस का अवलंब नहीं लिया जा सकता। अतः, गोपाल सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य व एक अन्य¹ प्रकरण में माननीय



उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में और किसी अन्य संपुष्टि के अभाव में, उक्त मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./36) महत्वहीन हो जाता है। अतः, उपरोक्त कारणों से, मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./36) विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह विश्वास प्रेरित नहीं करता और अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए इस का अवलंब नहीं लिया जा सकता, और विशेषकर तब जब घटना की तिथि 02.05.2019 है और मृतका की मृत्यु 10.07.2019 को हुई, अर्थात् घटना की तिथि से लगभग दो माह पश्चात, वह भी सेप्टीसीमिया के कारण। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थी संदेह का लाभ देकर उक्त आरोप से दोषमुक्त किए जाने का पात्र है।

16. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि अभियोजन ने ठोस प्रकृति के साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने आगे तर्क किया कि मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.-/36) के दृष्टिगत, जिसमें मृतका ने अपराध के कर्ता के रूप में अपीलार्थी का नाम स्पष्ट रूप से बताया है और अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों सहित, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश पूर्णतया गुण-दोष पर आधारित है और इसलिए, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

17. अब विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या मृतका की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी और क्या अपीलार्थी अपराध का कर्ता है, जिस पर हम अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे।

18. अभियोजन के अनुसार, घटना के दिन, जब अभियुक्त ने सुनीता की पिटाई की और उसे मिट्टी के तेल से जला दिया, तो उसे उपचार के लिए अधजली अवस्था में बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉ. अरुण कुमार (अ.सा.-12) ने सुनीता का प्रारंभिक उपचार प्र.प्र.-14 के अनुसार किया। सुनीता की हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर भेज दिया गया। सुनीता की माँ सविता (अ.सा.-3) ने अपनी पुत्री के जलने की सूचना पुलिस थाने को दी। इसकी पुष्टि करते हुए, सहायक उपनिरीक्षक अनिल कुमार सिंह (अ.सा.-18), जो उस समय मणिपुर चौकी में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात थे, ने कथन किया कि सूचनाकर्ता की शिकायत पर, उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क और 307 के अधीन एक बिना नंबर की प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध क्रमांक 0/2019 (प्र.प्र.-34) पंजीबद्ध की थी।

19. प्रथम सूचना प्रतिवेदन बलरामपुर थाना में पंजीबद्ध किया गया था। इस संबंध में, उप-निरीक्षक संपत पोटाई (अ.सा.-21) ने कथन किया है कि उन्होंने बलरामपुर थाना में अपराध क्रमांक



112/2019 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क और धारा 307 के अधीन प्रकरण पंजीबद्ध किया था।

20. सुनीता के जलने के कारण उसे बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। इस दौरान, सुनीता रवि का मृत्युकालिक कथन लिया गया। जिसके संबंध में सहायक उपनिरीक्षक निर्मला कश्यप (अ.सा.-17) ने कथन किया कि उन्होंने अंबिकापुर के कार्यपालक दंडाधिकारी को एक लिखित शिकायत (प्र.पी.-33) भेजी थी, जिसमें सुनीता रवि का मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए एक दंडाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था, जिस पर नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20) ने सुनीता रवि का मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.-36) दर्ज किया था। इस साक्षी ने अपने परिसाक्ष्य में कथन किया है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय, उसके द्वारा पूछे जाने पर, सुनीता ने बताया था कि उसके पति ने उसे आग लगाया है, इसलिए उसे दंडित किया जाए। सुनीता ने यह भी बताया था कि उसके संतानों को भी बहुत पीटा जाता है और उन्होंने पहले भी दो-तीन बार उसे जान से मारने का प्रयास किया है।

21. सुनीता रवि की मृत्यु के पश्चात, जगदीश रवि (अ.सा.-4) की सूचना पर, थाना चलगली में असामयिक एवं आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण शून्य पर (प्र.पी.-29) पंजीबद्ध किया गया और बलरामपुर में भी एक प्रकरण संख्या पर दर्ज किया गया। इस संबंध में, निरीक्षक प्रद्युमन तिवारी (अ.सा.-15) ने कथन किया है कि सुनीता रवि की मृत्यु की सूचना मिलने पर, उन्होंने शून्य पर सूचना पंजीबद्ध किया और शव पंचनामा की कार्यवाही हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक लिखित शिकायत (प्र.पी.-30) दी और शव परीक्षण कराने हेतु एक आवेदन (प्र.पी.-31) दिया। इसी प्रकार, उपनिरीक्षक शांतिलाल कुजूर (अ.सा.-13) ने अपने परिसाक्ष्य में कथन किया है कि थाना चलगली से मृत्यु पुनर्विलोकन क्रमांक 08/19 प्राप्त होने पर, उन्होंने मृत्यु पुनर्विलोकन क्रमांक 34/2019 (प्र.पी.-15) पंजीबद्ध किया।

22. निरीक्षक उमेश बघेल (अ.सा.-14) के अनुसार, वह दिनांक 14.05.2019 को घटनास्थल पर पहुँचे और घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी.-26) तैयार किया। अनु-विभागीय दण्डाधिकारी शबाद खान (अ.सा.-19) ने अपने न्यायालयिक कथन में कहा है कि तहसीलदार बलरामपुर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने दिनांक 10/07/2019 को सुनीता रवि की मृत्यु के बाद नक्शा पंचायतनामा के लिए साक्षियों को नोटिस (प्र.पी.-4) जारी किया था और साक्षियों के सामने मृतका का नक्शा पंचायतनामा (प्र.पी.-7) तैयार किया था।

23. मृतका का प्रारंभिक उपचार प्र.पी.-14 के अनुसार डॉ. अरुण कुमार (अ.सा.-12) द्वारा किया गया और मृतका का शवपरीक्षण करने के बाद प्र.पी.-35 प्रस्तुत किया गया। मृतका का शवपरीक्षण डॉ. भैयालाल राजवाड़े ने किया। उनकी अनुपस्थिति में, उनके साथ कार्यरत डॉ. अरुण कुमार (अ.सा.-



12) ने शवपरीक्षण किया, जिनका कथन है कि मृतका का शवपरीक्षण डॉ. भैयालाल राजवाड़े द्वारा दिनांक 10.07.2009 को किया गया था।

24. शवपरीक्षण प्रतिवेदन के मुताबिक, मृतका के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था सफ़ेद वस्त्र से ढका हुआ था। शरीर में कोई अकड़न या सूजन नहीं थी। मृतका के शव से दुर्गंध आ रही थी, चेहरा, छाती के अगले हिस्से, पेट पर कोई जलने का निशान नहीं था। शव के दाहिने पैर, गर्दन के पिछले हिस्से, पीठ, सिर के पिछले हिस्से और बाएँ पैर के पिछले हिस्से पर पूरी तरह से जलने का निशान था।

25. डॉ. अरुण कुमार (अ.सा.-12) के अनुसार, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी सामान्य थीं। वक्षीय झिल्ली, पसलियाँ और कोमल पसलियाँ दिखाई दे रही थीं। फेफड़े, कंठनली, श्वासनली, दायाँ और बायाँ फेफड़ा, मूलाधार पर्व्यूशन, हृदय, वृहद वाहिकाएँ सामान्य थीं। उदर झिल्ली, आंत्र झिल्ली, मुँह और ग्रसनी सामान्य थे। पेट के अंदर भोजन मौजूद नहीं था। छोटी आंत के अंदर अपच भोजन था और बड़ी आंत में मल मौजूद था। यकृत, प्लीहा, गुर्दे, मूत्राशय ब्लेडर, आंतरिक और बाह्य जननांग सामान्य थे। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ सामान्य थीं। थर्ड डिग्री बर्न पूरी मोटाई का था और दो माह से भी कम पुराना था।

उनके अनुसार, मृतका का 60% शरीर जला हुआ था।

26. शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी.-35) के अनुसार, मृत्यु का कारण जलने के कारण अत्यधिक रक्त की हानि के कारण सेप्टीसीमिया और शरीर के प्रमुख अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट था। चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि मृत्यु की प्रकृति मानववध थी या आत्महत्या। शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का समय शवपरीक्षण के 8-10 घंटे के भीतर बताया गया है। इस प्रकार, चिकित्सा साक्षी व अन्य साक्षियों के कथन से यह स्पष्ट है कि सुनीता की मृत्यु जलने के कारण हुई।

27. अब इस प्रकरण में यह देखना शेष है कि क्या अभियुक्त ने सुनीता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगाकर उसकी मृत्यु का कारण बना?

28. इस संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि मृतका की माँ, सविता रवि (अ.सा.-3) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त सीताराम ने उसकी पुत्री सुनीता को जान से मारने के आशय से उस पर तेल डालकर जला दिया था, किंतु उसने अपने न्यायिक कथन में कहा है कि उसे नहीं पता कि उसकी पुत्री की मृत्यु कैसे हुई। उसने इस बात से भी इनकार किया कि पुलिस ने उसका कथन दर्ज



किया था और घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था। इसी प्रकार, सुखसाई कोडाकू (अ.सा.-1) और राजमनिया सिंह (अ.सा.-2) ने घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया है।

29. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि मृतका के भाई जगदीश रवि (अ.सा.-4) के कथनानुसार, उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है और उसे शवपरीक्षण के लिए कोई सूचना नहीं मिली। उसे न तो सूचना दी गई और न ही शव पंचनामा की कार्यवाही उसकी उपस्थिति में की गई। इसी प्रकार, अमित तिर्की (अ.सा.-5), रवि तिर्की (अ.सा.-6), अमीर चंद (अ.सा.-7) और भदई (अ.सा.-11) ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

30. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि मृतका की पुत्री नेहा रवि (अ.सा.-8) के कथन के अनुसार, उसके माता-पिता अच्छे से रहते थे और खाना बनाते समय उसकी माँ की साड़ी में आग लग गई। इसी प्रकार, मृतका के पुत्र अनिकेत (अ.सा.-9) ने भी अपने न्यायालयिक कथन में कहा है कि घटना के दिन, वह और उसकी बहन नेहा घर से बाहर खेल रहे थे, तभी उसे पता चला कि उसकी माँ खाना बना रही थी और उसकी साड़ी में आग लग गई। जबकि शांति देवी (अ.सा.-10) ने घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा है कि घटना के समय वह जंगल गई थी और बाद में उसे पता चला कि सुनीता खाना बनाते समय जल गई थी।

31. निरीक्षक उमेश बघेल (अ.सा.-14) ने कथन है कि अभियुक्त सीताराम रवि (अ.सा.-1) का प्रकटीकरण कथन उनके द्वारा साक्षियों की उपस्थिति में तैयार किया गया था और अभियुक्त की निशानदेही पर, ज़ब्ती पत्रक (अ.सा.-3) के अनुसार पीले रंग का डिब्बा ज़ब्त किया गया था और ज़ब्त डिब्बे (अ.सा.-2) का पंचनामा तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त, साक्षी सुखसाई कोडाकू (अ.सा.-1) और भदई (अ.सा.-11) प्रकटीकरण कथन और ज़ब्ती के साक्षी हैं, लेकिन दोनों साक्षियों ने इस बात से इनकार किया है कि प्रकटीकरण कथन दर्ज किया गया था और ज़ब्ती की कार्यवाही उनकी उपस्थिति में की गई थी।

32. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अपीलार्थी पर इस आधार पर आरोप लगाया गया है कि उसने सुनीता की हत्या दहेज की मांग करके, उसे पीटकर, उस पर मिट्टी का तेल डालकर और उसे जलाकर की। साक्षियों ने कथन किया है कि अभियुक्त और सुनीता के मध्य कोई विवाद नहीं था। जहाँ तक घटना की सूचनाकर्ता मृतका की माँ सविता (अ.सा.-3) का प्रश्न है, उसने घटना की कोई जानकारी होने से इनकार किया है।



33. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन का प्रकरण पूर्णतया नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20) द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.-36) पर आधारित है, इसलिए, मृत्युकालिक कथन को शासित करने वाले सिद्धांतों और मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय चिकित्सक के परीक्षण पर विचार करना उचित होगा।

34. इस स्तर पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) पर विचार करना सुसंगत है, जो निम्नानुसार है:

“32. वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि—सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत हैं—

(1) जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है— जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।

ऐसे कथन सुसंगत है चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है. उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

xxx

xxx

xxx

35. धारा 32(1) में उल्लिखित साक्ष्य की ग्रहणता का सामान्य आधार यह है कि विचाराधीन प्रकरण में इससे बेहतर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। धारा 32(1) के प्रावधान उस नियम के अतिरिक्त अपवाद हैं जो अनुश्रुत बातों को बाहर करते हैं। सामान्य नियम के अनुसार, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए (धारा 60)। धारा 32 के आठ खंड इसके अपवाद माने जा सकते हैं, जो मुख्यतः दो शर्तों पर आधारित हैं: साक्ष्य की आवश्यकता और विश्वसनीयता की परिस्थितिजन्य गारंटी। अनुश्रुत बातों को बाहर रखा गया है क्योंकि इसे पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं माना जाता है। इसे अस्वीकार कर दिया जाता है



क्योंकि इसमें स्वीकार्य साक्ष्य, अर्थात् शपथ और प्रतिपरीक्षण, के लिए लागू परीक्षणों की स्वीकृति का अभाव है। लेकिन जहाँ विशेष परिस्थितियाँ हैं जो परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता की गारंटी देती हैं, उसे स्वीकार कर लिया जाता है, भले ही वह किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य विधि के प्रसिद्ध विधिक सिद्धांत, अर्थात्, निमो मोरिटुरस प्रेसुमितुर मेंटायर, में प्रतिपादित सिद्धांत पर बल दिया, जिसका अर्थ है कि मृत्यु के समय किसी से भी झूठ बोलने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हमारी भारतीय विधि भी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि "मरता समय व्यक्ति शायद ही कभी झूठ बोलता है" या दूसरे शब्दों में "मरते हुए व्यक्ति के जुबान पर सत्य ही रहता है"। इसी तथ्य की सुसंगतता, अनुश्रुत बातों पर आधारित साक्ष्य के नियम का अपवाद है।

36. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) को प्रसिद्ध रूप से "मृत्युकालिक कथन" धारा के रूप में संदर्भित किया जाता है, यद्यपि उक्त वाक्यांश का साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उल्लेख नहीं मिलता है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 32, विशेषतया धारा 32(1) के व्याप्ति और परिधि पर विभिन्न अवसरों पर विचार किया है, जिनमें **शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**² का प्रकरण भी शामिल है, जिसमें माननीय न्यायाधिपतिगण ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में उल्लिखित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया है, जिसमें "संव्यवहार की परिस्थितियों" से संबंधित सिद्धांत भी शामिल हैं:

"21. इस प्रकार, उपरोक्त प्राधिकारियों के पुनर्विलोकन और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) की स्पष्ट भाषा से, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं:-

(1) धारा 32 अनुश्रुत के नियम का अपवाद है और मरते समय व्यक्ति के कथन को, चाहे वह मानववध हो या आत्महत्या, स्वीकार्य बनाती है, बशर्ते कि कथन मृत्यु के कारण से संबंधित हो, या मृत्यु के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को प्रदर्शित करता हो। इस संबंध में, जैसा कि उपरोक्त दर्शित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, हमारे समाज की विशिष्ट परिस्थितियों और हमारे लोगों की विविध प्रकृति और आचरण को देखते हुए, अन्याय से बचने के लिए धारा 32 के परिधि को व्यापक बनाना आवश्यक समझा है।

(2) निकटता की कसौटी को बहुत शाब्दिक रूप से नहीं समझा जा सकता और व्यावहारिक रूप से सार्वभौमिक अनुप्रयोग के एक अनम्य सूत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता कि उसे एक बंधन में बांध दिया जाए। समय



अंतराल प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर या भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, जहाँ मृत्यु एक सतत नाटक की तार्किक परिणति है जो लंबे समय से चल रही है और मानो कहानी का समापन है, वहाँ नाटक के अंत से सीधे जुड़े प्रत्येक चरण के बारे में कथन स्वीकार्य होगा क्योंकि पूरे कथन को एक जैविक समग्रता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए। कभी-कभी वर्तमान हेतुक से संबंधित या सुसंगत कथन भी मृत्यु के संव्यवहार का एक भाग होने के नाते स्वीकार्य हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सभी कथन मृतक, जो मरते समय कथन करता है, की मृत्यु के बाद ही प्रकाश में आते हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ मृत्यु विवाह के बहुत अल्प समय के भीतर हो या समय का अंतर 3-4 माह से अधिक न हो, वहाँ कथन धारा 32 के अंतर्गत स्वीकार्य हो सकता है।

(3) धारा 32 के खंड (1) का दूसरा भाग इस नियम का एक अन्य अपवाद है कि दायित्व विधि में, ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिससे अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं की जा रही थी या उसे प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया था, मूल्यहीन होगा क्योंकि प्रतिपरीक्षण का स्थान शपथ की गंभीरता और पवित्रता द्वारा लिया जाता है, क्योंकि मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति झूठा कथन देने की संभावना नहीं रखता, जब तक कि यह साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य न हों कि कथन या तो उकसाकर या सिखा-पढ़ा कर लिया गया था।

(4) यह विचार में रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 32 केवल मानववध की बात नहीं करता, बल्कि यह आत्महत्या को भी शामिल करता है इसलिए, समस्त परिस्थितियाँ जो मानववध के प्रकरण को साबित करने के लिए सुसंगत हो सकती हैं, वे आत्महत्या के प्रकरण को साबित करने के लिए भी समान रूप से सुसंगत होंगी।

(5) जहाँ मुख्य साक्ष्य में मृतक द्वारा किए गए कथन और पत्र शामिल हैं जो उसकी मृत्यु से सीधे जुड़े हैं या उससे संबंधित हैं और जो एक कहानी बताते हैं, वहाँ उक्त कथन स्पष्ट रूप से धारा 32 के परिधि में आएगा और, इसलिए, स्वीकार्य होगा। ऐसे मामलों में केवल समय अंतराल ही कथन को असंगत नहीं बनाती।”



37. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) यह स्पष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, लिखित या मौखिक रूप से कोई कथन देता है, तो ऐसे मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, ऐसा कथन सुसंगत है। शरद बिरदीचंद सारदा (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि धारा 32 अनुश्रुत के नियम का अपवाद है और किसी व्यक्ति के कथन को, जिसकी मृत्यु हो जाती है, स्वीकार्य बनाती है, चाहे वह मानववध हो या आत्महत्या, बशर्ते कि वह कथन मृत्यु के हेतुक से संबंधित हो या मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। शरद बिरदीचंद सारदा (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कंस राज विरुद्ध पंजाब राज्य³ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती प्राधिकारों के पुनर्विलोकन करते हुए किया गया है।

38. इसके बाद, देविंदर उर्फ काला राम व अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य⁴ के प्रकरण में, जिसमें मृतका, जिसे चूल्हे पर खाना पकाते समय जल गई थीं, ने चिकित्सक को एक कथन दिया था, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सक द्वारा दर्ज मृतका का कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन सुसंगत है और निम्नानुसार अवधारित किया:-

“14. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, हम पाते हैं कि अ.सा.-7, सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक 6-8-1992 को सुबह 6.30 बजे मृतका के प्रकरण का परीक्षण किया और उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि परीक्षण के समय वह होश में थी और पैरों, चेहरे और पेरिनियम के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे शरीर पर सतह से लेकर अंदर तक जलने के निशान थे और उसके शरीर पर मिट्टी के तेल की गंध थी। उसने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया कि मृतका को उसके पति काला राम (अपीलार्थी 1) द्वारा अस्पताल लाया गया था। उसने अस्पताल में मृतका से संबंधित बेड-हेड टिकट (प्रदर्श डीडी) के साथ-साथ प्रदर्श डीडी पर बिंदु 'ए' पर अपने हस्ताक्षर को भी साबित किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उसे मरीज ने स्वयं बताया था कि चूल्हे पर खाना बनाते समय वह जल गई थी। अ.सा.7 द्वारा दर्ज मृतका का यह कथन साक्ष्य की धारा 32 के अधीन सुसंगत है। अधिनियम, 1872, जो यह प्रावधान करता है कि किसी मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, स्वयं

3 AIR 2000 SC 2324

4 (2012) 10 SCC 763



सुसंगत तथ्य होते हैं जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, या उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के बारे में दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, ऐसे मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है।”

39. **पुरुषोत्तम चोपड़ा व एक अन्य विरुद्ध राज्य**⁵ (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) के प्रकरण में, मृत्युकालिक कथन दर्ज करने और उसकी स्वीकार्यता एवं विश्वसनीयता से संबंधित सिद्धांतों को कण्डिका 21 में निम्नानुसार संक्षेपित किया गया था: -

“21. जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित है, मृत्युकालिक कथन के दर्ज करने और उसकी ग्रह्यता एवं विश्वसनीयता से संबंधित कुछ सिद्धांतों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:-

21.1. मृत्युकालिक कथन, बिना किसी संपुष्टि के भी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, यदि वह न्यायालय का विश्वास प्रेरित करता है।

21.2. न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि कथनकर्ता कथन करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ था; और यह एक स्वैच्छिक कथन था, जो किसी प्रशिक्षण, प्रेरणा या कल्पना का परिणाम नहीं था।

21.3. जहाँ मृत्युकालिक कथन संदिग्ध हो या किसी दुर्बलता से ग्रस्त हो, जैसे कि कथनकर्ता की मानसिक स्थिति ठीक न होना या इसी प्रकार की कोई अन्य दुर्बलता, तो उस पर संपुष्टि साक्ष्य के बिना कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

21.4. जब चक्षुदर्शी साक्षी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृतक कथन करने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में नहीं था, चिकित्सकीय अभिमत अभिभाव नहीं हो सकता।

21.5. विधि यह प्रावधान नहीं करता कि मृत्युकालिक कथन कौन दर्ज कर सकता है और न ही इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप या प्रक्रिया है, किंतु मृत्युकालिक कथन दर्ज करने वाले व्यक्ति को यह समाधान होना चाहिए कि कथनकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ है और कथन देने में सक्षम है।

21.6. यद्यपि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति नितांत आवश्यक नहीं है, किंतु प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, यह अपेक्षित है कि मजिस्ट्रेट से ऐसा मृत्युकालिक कथन दर्ज



करने का अनुरोध किया जाए और/या मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय उपस्थित अन्य व्यक्तियों से सत्यापन प्राप्त किया जाए।

21.7. जलने के प्रकरण में, जलने का प्रतिशत व स्तर, स्वयं में, मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का निर्णायक नहीं होगा; और निर्णायक कारक, कथन करने के लिए कथनकर्ता की उपयुक्त और सचेत अवस्था के बारे में साक्ष्य की गुणवत्ता होगी।

21.8. यदि सावधानीपूर्वक जांच के बाद, न्यायालय पाता है कि मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रस्तुत कथन स्वैच्छिक और इसे स्पष्ट और सुसंगत भी पाता है, तो इसके आधार पर संपुष्टि के बिना भी दोषसिद्धि दर्ज करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।”

40. हाल ही में, इरफान उर्फ नाका विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य⁶ के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृत्युकालिक कथन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिस का अवलंब किया जा सकता है, बशर्ते यह साबित हो जाए कि यह स्वैच्छिक और सत्य था तथा पीड़ित मानसिक रूप से स्वस्थ था और कण्डिका-63 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

“63. अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करे। संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त के पक्ष में ही होना चाहिए। यह सत्य है कि मृत्युकालिक कथन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिस का अवलंब लिया जा सकता है, बशर्ते यह साबित हो जाए कि यह स्वैच्छिक और सत्य था और पीड़ित की मानसिक स्थिति उपयुक्त थी। न्यायालय के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है क्योंकि अभियुक्त का नाम मृत्युकालिक कथन में हमलावर के रूप में दर्ज है।”

41. इसके अतिरिक्त, गोपाल सिंह (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मृत्युकालिक कथन जिसमें अपराध के आरोपित व्यक्तियों के पूर्ण नाम और पते शामिल नहीं हैं, भले ही उनकी पहचान स्थापित करने में सहायता मिल सकती है, ऐसी प्रकृति का नहीं है जिस पर दोषसिद्धि आधारित हो और इसे संपुष्टि के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है और कण्डिका-07 और 08 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:



“7. हम पहले ही इस तथ्य का उल्लेख कर चुके हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, उमरावदास, अ.सा. 1 और छोटूलाल, अ.सा. 7 के इस साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि मृतका मोडसिंह ने अपीलार्थीगण को हमलावर बताया था जब वे सुबह 8 बजे सड़क किनारे उनसे मिले थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विस्तृत कारण बताए हैं कि उन्होंने उनके साक्ष्य को असंतोषजनक क्यों माना। यद्यपि, उच्च न्यायालय ने एक वाक्य में अपनी राय व्यक्त की कि इन दो साक्षियों के साक्ष्य, अन्य के साथ, अपीलार्थीगण की पहचान के संबंध में मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि करते हैं, बिना कोई कारण बताए कि वह इस बिंदु पर विद्वान सत्र न्यायाधीश से अलग क्यों है। यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थीगण की पहचान स्थापित करने वाले लिखित मृत्युकालिक कथन से इतना संतुष्ट था कि उसने उमरावदास, अ.सा. 1 और छोटूलाल, अ.सा. 7 के साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार करने में कि वे कितने विश्वसनीय थे उपेक्षा की। दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय को और विस्तारपूर्वक व्यक्त करना चाहिए था कि उसने क्यों अवधारित किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीशों का निष्कर्ष अयुक्तियुक्त था। हमारे अभिमत में वह निष्कर्ष अपवादहीन है।

8. परंतु यदि हम यह मान भी लें कि उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि मृत्युकालिक कथन अपीलार्थीगण की पहचान स्थापित करता है, तो भी यह निश्चित रूप से उस प्रकार का नहीं था जिससे बिना संपुष्टि के इसे स्वीकार किया जा सके। यह सुस्थापित विधि है कि न्यायालय केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्ध किए जाने का हकदार है यदि यह ऐसा हो कि प्रकरण की परिस्थितियों में इसे सत्य माना जा सके। दूसरी ओर, यदि किसी त्रुटि के कारण इसे पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, तो संपुष्टि की आवश्यकता होगी। देखें: *कुशल राव विरुद्ध बॉम्बे राज्य* इस प्रकरण में, सर्वप्रथम यह याद रखना होगा कि यद्यपि अपीलार्थीगण के पिता के नाम मोदसिंह और उनके साथ थाना गए अन्य लोगों को ज्ञात थे, उनके पिता के नाम और वर्तमान निवास का उल्लेख नहीं किया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत की गई है का नाम व पता न पूछना और प्रथम सूचना में दर्ज न करना असामान्य बात है.....।”



42. उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों को विचार में रखते हुए, यह सुस्पष्ट है कि इस प्रकरण में अभियोजन का प्रकरण पूर्णतया मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./36) पर आधारित है, जिसे नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20) द्वारा दर्ज किया बताया गया है।

43. इस संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि मृतका के मृत्युकालिक कथन को दर्ज करने का समय शाम 7:30 लिखा है, जबकि नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20) ने अपने साक्ष्य में आगे कथन किया है कि मृत्युकालिक कथन का समय शाम 7:20 है। इसी प्रकार, मृत्युकालिक कथन दर्ज करने का दिनांक 21.05.2019 है, लेकिन नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20) के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 22.05.2019 अंकित है। जिस चिकित्सक ने लिखा था कि मृतका कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसका कथन दर्ज नहीं किया गया है और उसमें उल्लिखित समय शाम 7:34 है। यह साबित नहीं हुआ है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय चिकित्सक उपस्थित था। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा है कि मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था।

44. जहाँ तक नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20), जिन्होंने मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था, के कथन का संबंध है, उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्र.पी.-36 में अंतिम प्रश्न के उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि उसकी हत्या किसने की और किसने पहले भी दो-तीन बार उसकी हत्या का प्रयास किया था और प्र.पी.-36 में कथन प्रारंभ करने का समय शाम 7.35 बजे और समाप्त करने का समय शाम 7.20 बजे लिखा गया है और मृत्युकालिक कथन लेने की तिथि 21/05/2019 अंकित है और उनके हस्ताक्षर के नीचे तिथि 22/05/2019 अंकित है।

45. अब, तथ्य यह है कि न तो उपचार करने वाले चिकित्सक और न ही किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी ने उक्त मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./36) दर्ज करने से पहले मृतका को कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ प्रमाणित किया है और न ही उस चिकित्सक (अजीत लकड़ा) का कथन दर्ज किया है, जिसने लिखा था कि मृतका कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ है। यहाँ तक कि, नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20) ने भी कथन किया है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के दौरान कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं था और न ही उन्होंने इसमें अपनी संतुष्टि दर्ज की है और न ही न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि मृतका मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय कथन देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। अन्यथा भी, मृतका की मृत्यु दिनांक 10.07.2019



को हुई, अर्थात घटना की तारीख से दो माह उपरांत, वह भी सेप्टीसीमिया के कारण। इस प्रकार, उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान प्रकरण में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं, जो अभिलेख से स्पष्ट हैं:

(क) यह कि, यद्यपि दिनांक 21.05.2019 को मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./36) नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20) द्वारा दर्ज किया गया था, परन्तु न तो उपचार करने वाले चिकित्सक और न ही किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी ने मृतका को उक्त मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से पूर्व कथन देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण दिया है, जो कि इरफान उर्फ नाका (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में स्वैच्छिक और विश्वसनीय मृत्युकालिक कथन देने के लिए अनिवार्य था और यहाँ तक कि नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20), जिन्होंने मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था, ने भी उसमें अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की या न्यायालय के समक्ष यह कथन नहीं किया कि मृतका मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ थी;

(ख) अपीलार्थी के अन्य विवरण जैसे पिता का नाम या पता आदि भी मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-36) में उल्लिखित नहीं हैं, जो गोपाल सिंह (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में नितांत आवश्यक है, वास्तव में इसमें केवल यह कहा गया है कि मृतका का 'पति' अपराध का कर्ता है और किसी अतिरिक्त संपुष्टि के अभाव में इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता है;

(ग) साथ ही, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजीत लकड़ा, जिनका नाम मृत्युकालिक कथन में उल्लिखित है और जिन्होंने दिनांक 21.05.2019 को शाम 7:34 बजे कहा था कि मरीज अपना कथन देने में सक्षम है, उनका कथन न तो विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया और न ही नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (अ.सा.-20), जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.-36) दर्ज किया था, ने कथन किया है कि उक्त मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से पूर्व एक चिकित्सक ने मृतका को कथन देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ स्थिति में प्रमाणित किया था;

(घ) इसके अतिरिक्त, अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, घटना की तारीख 02.05.2019 है और मृतका को दिनांक 28.05.2019 को छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन दिनांक 10.07.2019 को सेप्टीसीमिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा पहुँचाई गई चोटें, यदि कोई हों, तो सामान्य प्रकृति में मृतका की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं (देखें: बी.एन. कवाटकर व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य⁸ और संजय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य⁹);

8 1994 Supp (1) SCC 304

9 (2016) 3 SCC 62



(ड) इसके अतिरिक्त, मृतका के पुत्र और पुत्री, अनिकेत (अ.सा.- 9) और नेहा रवि (अ.सा.-8) ने अपने माता-पिता के मध्य किसी भी तरह के झगड़े से इनकार किया है और कथन किया है कि उनके माता-पिता खुशी-खुशी रहते थे और उनकी माँ की साड़ी में खाना बनाते समय आग लग गई थी। रवि तिकी (अ.सा.-6) और शांति देवी (अ.सा.-10) ने भी कथन किया है कि मृतका के वस्त्र में खाना बनाते समय आग लग गई थी और बाकी साक्षियों सुखसाई कोडकू (अ.सा.-1), राजमनिया सिंह (अ.सा.-2), सविता रवि (अ.सा.-3), जगदीश रवि (अ.सा.-4), अमित तिकी (अ.सा.-5), अमीर चंद (अ.सा.-7) और भदई (अ.सा.-11) ने घटना के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है।

46. तदनुसार, उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत, मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./36) विश्वास प्रेरित नहीं करता, क्योंकि यह स्वैच्छिक और विश्वसनीय नहीं है और इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए मृत्युकालिक कथन (प्र.पी./36) का अवलंब लेकर गंभीर विधिक त्रुटि की है। परिणामस्वरूप, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखने में असमर्थ हैं, तथा अपीलार्थी को संदेह के लाभ के आधार पर उक्त आरोप से दोषमुक्त किए जाने का पात्र है।

47. उपरोक्त विश्लेषण के दृष्टिगत, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का पात्र है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क और 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करना पूर्णतः अनुचित है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क और 302 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। संदेह के लाभ के आधार पर उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। सूचित किया गया है कि वह दिनांक 27.05.2019 से जेल में है, इसलिए हम निर्देशित करते हैं कि यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे अविलंब जेल से रिहा किया जाए।

48. यह दाण्डिक अपील **स्वीकार** की जाती है।

49. यदि किसी अन्य दाण्डिक प्रकरण में अपीलार्थी की आवश्यकता न हो, तो उसे अविलंब रिहा कर दिया जाएगा। यद्यपि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) की धारा 437-क के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 45 के अनुसार संबंधित न्यायालय के



समक्ष 25,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे, जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावशील होगा और साथ ही यह वचन भी दे कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने हेतु विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलार्थी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

50. इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना और कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु प्रेषित की जाए।

51. प्रकरण से विदा लेने से पूर्व, अभियोजन एजेन्सियों और विद्वान विचारण न्यायालयों को एक चेतावनी जारी करना आवश्यक है।

52. वर्तमान प्रकरण में, मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.36) दर्ज होने के बावजूद, अभिलेखों का सम्पूर्ण परीक्षण करने से महत्वपूर्ण खामियाँ सामने आती हैं जो इसकी विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं। उल्लेखनीय रूप से, कथनों की संपुष्टि के लिए उचित साक्ष्यों का अभाव है, जो अन्यथा इसे पर्याप्त महत्व देते। अपीलार्थी की दोषसिद्धि, जो मुख्यतः मृत्युकालिक कथन पर आधारित है, इस अपील में संवीक्षा के अधीन थी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय भारी मन से इस अपील को स्वीकार करने और यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि यद्यपि मृत्युकालिक कथन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का आधार बन सकता था, किंतु महत्वपूर्ण साक्षियों, जिनमें चिकित्सा अधिकारी और शासकीय अधिकारी भी शामिल हैं, से जुड़ी विभिन्न विसंगतियाँ इसकी विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कम करती हैं। विशेष रूप से, मृतका की मानसिक और शारीरिक उपयुक्तता प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार चिकित्सक की विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया, न ही इस महत्वपूर्ण साक्षी को विचारण के दौरान न्यायालयिक साक्षी के रूप में आहूत करने का कोई प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त, नायब तहसीलदार, जिन्होंने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था, ने अपने साक्ष्य में तारीख का त्रुटिपूर्ण उल्लेख करके अनुचित किया, जिससे कथन की विश्वसनीयता और कम हो गई। इन महत्वपूर्ण खामियों को देखते हुए, यह न्यायालय यह अवधारित करने के लिए बाध्य है कि प्रमुख साक्षियों और विचारण न्यायालय की अनदेखी द्वारा प्रदर्शित विसंगतियाँ न केवल न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती हैं, बल्कि न्याय की असफलता का कारण भी बनती हैं, जिससे पीड़ितों को वह न्याय नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं।

53. **छोटन साव व एक अन्य विरुद्ध बिहार राज्य**¹⁰ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-



“16. अपील से विदा लेने से पूर्व, हम विवेचना की अपर्याप्तता, शासकीय अधिवक्ता और मजिस्ट्रेट जिन्होंने धारा 304 ख के तहत अपराध का संज्ञान लिया था की ओर से दायित्वों के निर्वहन में असफलता के विषय में अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं। विवेचना अधिकारी, जिन्होंने अभियोग- पत्र प्रस्तुत किया था, को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से विसरा रिपोर्ट प्राप्त किए बिना और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए बिना ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपराध की प्रकृति को देखते हुए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, विशेषतः मृतका बबीता देवी द्वारा ज़हर खाने के संबंध में किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में। इसी प्रकार, शासकीय अधिवक्ता भी इस संबंध में विवेचना अधिकारी का मार्गदर्शन करने में अपने दायित्व के निर्वहन में असफल रहे। जिस मजिस्ट्रेट ने प्रकरण को सत्र न्यायालय को उपापित किया था, वह स्वयं के विवेक का प्रयोग करने में असफल रहे और प्रकरण को मनमाने ढंग से विचारण हेतु उपापित कर दिया। शासकीय अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों पर एक दायित्व प्रकरण में विधि का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व अधिक होता है। उनकी ओर से कोई भी चूक जैसे कि जो इस प्रकरण में हुआ, उससे अभियोजन का प्रकरण खतरे में पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य दोषमुक्ति हो सकती है। उनकी ओर से अकुशलता और उदासीनता इस देश में दायित्व न्याय प्रशासन की व्यवस्था में समाज के विश्वास को डगमगा देगी, जो हमारे अभिमत में, वांछनीय से अत्यंत निम्न स्तर पर पहुँच चुका है।”

54. माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य विरुद्ध किशनभाई व अन्य¹¹ प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“23. किसी दायित्व प्रकरण में दोषमुक्त होने पर, ऐसी दोषमुक्ति के लिए ज़िम्मेदार संबंधित विवेचना/अभियोजन अधिकारी (अधिकारियों) की पहचान आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में एक निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना चाहिए, चाहे चूक निर्दोष थी या दोषपूर्ण। त्रुटि



करने वाले प्रत्येक अधिकारी को अपनी चूक के परिणाम भुगतने होंगे, उचित विभागीय कार्रवाई द्वारा, जो भी आवश्यक हो। प्रकरण की गंभीरता को विचार में रखते हुए, संबंधित अधिकारी को उसकी दोषीता के आधार पर, स्थायी या अस्थायी रूप से, विवेचना संबंधी जिम्मेदारियों से हटाया जाए। हम कुछ अपरिहार्य उपायों को अपनाने के लिए भी बाध्य महसूस करते हैं, जो दण्डिक प्रकरण में उभयपक्ष को होने वाली परेशानी को कम कर सकते हैं। तदनुसार, हम प्रत्येक राज्य शासन के गृह विभाग को निर्देश देते हैं कि वह त्रुटि करने वाले समस्त विवेचना/अभियोजन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करे। ऐसे त्रुटि करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो घोर लापरवाही या सदोष चूक के कारण अभियोजन के प्रकरण की असफलता के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, विभागीय कार्रवाई का सामना करना होगा। तैयार की गई उपरोक्त व्यवस्था विवेचना और अभियोजन कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीरता लाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि विवेचना और अभियोजन प्रयोजनपूर्ण और निर्णायक हों। वर्तमान निर्देश भी 6 माह के भीतर प्रभावी होगा।”

55. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रतिलिपि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए, जो इसे सभी हितधारकों को इस निर्देश सहित प्रसारित करेंगे कि वे विधि के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि अभियुक्त वर्तमान अपराध जैसे अपराधों में हुए चूक का लाभ न ले सकें। राज्य में विधि के शासन को बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधों से विधि के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए और दोषियों को विधि के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **छोटन साव** (पूर्वोक्त) और **किशनभाई** (पूर्वोक्त) में इंगित किया है विचारण न्यायालयें अभियोजन और जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों की भी निगरानी करेंगी।

56. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय की एक-एक प्रतिलिपि मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भी प्रेषित करें ताकि इस निर्णय की एक-एक प्रतिलिपि समस्त विचारण न्यायालयों को आवश्यक सूचना और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अविलंब प्रसारित की जा सके।



सही/ -
(बिभु दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही/ -
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति





Headnote

"Gross discrepancies and lapses by prosecuting agency deemed wholly unacceptable; Trial Courts mandated to exercise vigilant oversight over actions of prosecution and Investigating Agencies to prevent accused from deriving undue benefit from prosecutorial derelictions, ensuring a fair and impartial trial, and upholding the sanctity of Rule of Law and due process."

Headnote (Hindi)

अभियोजन एजेंसी द्वारा घोर विसंगतियाँ और चूकें पूर्णतया अस्वीकार्य हैं; विचारण न्यायालय को अभियोजन और जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने का निर्देश दिया जाता है ताकि आरोपी को अभियोजन की चूकों से अनुचित लाभ न मिले, एक निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित हो, और विधि के शासन और उचित प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखा जा सके।





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

